रांची घोषणापत्रः कार्य योजना

सभी पूर्ण अधिवेशनों और कार्यशालाओं के नोट्स को संकलित किया जा रहा है। समग्र घोषणा पत्र के साथ ही सभी प्रस्तावों और रिपोर्ट को जल्द ही आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। यहां जिन बिंदुओं को आपके सामने रखा जा रहा है, उन पर तत्काल कदम उठाना आवश्यक है। इन सभी बिंदुओं पर अधिवेशन के दौरान पूर्ण सहमति बन चुकी है।

1. बिना किसी देरी के मैला ढोने की प्रथा को देश में खत्म करने पर आम सहमति बनी है। भोजन का अधिकार अभियान के कार्यकर्ता शुष्क शौचालयों के उन्मूलन और स्वच्छ शौचालयों के इस्तेमाल को लेकर अभियान में सक्रियता के साथ भाग लेने की योजना बनाएंगे। इसके साथ ही मैला ढोने वाले सभी लोगों के पुनर्वास के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। स्टीयरिंग कमेटी और राज्यों के अभियान व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके घरों और कार्यस्थलों की साफ-सफाई का जिम्मा उन लोगों पर न रहे, जो परंपरागत रूप से इन कामों में लगे हैं। समाज के सभी तबकों को स्वच्छता गतिविधियों में शामिल करने की जरूरत है। इस काम को करने वालों को सुरक्षा भी मिलना चाहिए। इसमें आधुनिक तकनीक का सहयोग लेना, जिसमें कपड़े व उपकरणों का इस्तेमाल शामिल है। सभी राज्य अभियान इस उद्देश्य को साथ लेकर कार्य योजना तैयार करेंगे।

2. नवंबर महीने में अभियान मोड के तहत शुष्क शौचालयों को तोड़ा जाएगा। सफाई कर्मचारी यूनियन, राज्य अभियान के सदस्य और भोजन का अधिकार अभियान से जुड़े अन्य सहयोगी संगठनों के सदस्य इसमें भाग लेंगे। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए बने 2013 के कानून का पालन सख्ती से किया जाए।

3. सचिवालय अक्टूबर/नवंबर में नरेगा पर एक बैठक आयोजित करेगा। इस बैठक में पीडीएस से जुड़ी गतिविधियों पर योजना बनाने पर भी कुछ समय चर्चा होगी।

4. यह तय किया गया है कि 22 नवंबर को राज्यों में बड़े पैमाने पर सक्रियता से कार्रवाई की जाए। (अ) राज्य और केंद्र सरकार से एनएफएसए, 2013 के तहत अधिसूचित न्यूनतम मातृत्व लाभ 6,000 रुपए लागू करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 1961 में बने कानून को भी मातृत्व लाभ अधिनियम के दायरे में लाने की मांग की जाएगी। यह बहुत जरूरी है। खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि पूरी कवायद फिलहाल औपचारिक क्षेत्र के कार्यबल तक ही सीमित है। (ब) पीओएस और आधार के जरिए जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) को बेकार करने की कोशिशों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इसके साथ ही नगद हस्तांतरण की कोशिशों का भी विरोध करना होगा। साथ ही शहरी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए ईंधन की मांग के साथ ही दाल और तेल भी पीडीएस के जरिए दिए जाने की मांग की जानी चाहिए।

5. मातृत्व लाभ को लागू करवाने के लिए सांसदों और सरकार को अनुरोध करना होगा। एडवोकेसी शुरू होनी चाहिए। इसकी शुरुआत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। राज्यों में कार्रवाई से एक हफ्ते पहले राज्यों की एक्शन टीमों को दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां पार्टियों के नेताओं एवं सांसदों से मिलेंगे। फिर अपने-अपने राज्यों में लौटकर कार्रवाई करेंगे।

6. अभियान के अंदरूनी ढांचे में आंतरिक लोकतंत्र की प्रतिबद्धता के तहत, सभी राज्य अभियान अगले छह महीने के भीतर राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे। राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी के लिए दो से लेकर अधिकतम पांच सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। सभी राज्य अभियानों और राष्ट्रीय नेटवर्क में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी ओर से स्टीयरिंग कमेटी के लिए नामांकित लोगों में दलित, आदिवासी और मुस्लिम, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, महिलाएं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। स्टीयरिंग कमेटी के सभी सदस्यों का न्यूनतम कार्यकाल चार साल का होगा। राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी का पुनर्गठन होने के बाद, समूह के संयोजकों को चुना जाएगा। यह प्रक्रिया आज से आठ महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। नई स्टीयरिंग कमेटी की बैठक मई 2017 में होगी। कुछ राष्ट्रीय नेटवर्क्स की भागीदारी कम होने की वजह से नवंबर में आधे दिन की बैठक होगी। इस दौरान अभियान और स्टीयरिंग कमेटी की भूमिका व प्रतिनिधित्व पर चर्चा की जाएगी। सभी राज्य अभियानों को भोजन का अधिकार अभियान के सामूहिक बयान पर कायम रहना है।

7. एनएपीएम जल्द ही संसाधनों की लूट और लोगों की जमीन व खेती से बेदखली रोकने के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाएगा। एनएपीएम इसके साथ ही हर राज्य में खेती से जुड़ी परेशानियों पर एक कार्यशाला भी आयोजित करेगा। आशा

और रूपांतर जैसे अन्य समूहों से अनुरोध किया जाएगा कि वह राज्य अभियानों की मदद करें ताकि खाद्य संप्रभुता की दिशा में महिलाएं सामूहिक तौर पर काम करें।

8. आईसीडीएस और एमडीएमएस में अंडों को शामिल करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। खासकर उन समुदायों के लिए जो अंडे खाते हैं। इसे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। सभी राज्यों में छमाही कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए।

9. बच्चों के भोजन के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 2017 में किया जाएगा।

10. स्वराज अभियान के सूखे से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अमल न होने का मुद्दा राज्य सरकारों के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि राज्य सरकार की रुचि एक भी आदेश को लागू करने में नहीं है।

11. हरसंभव कोशिश की जाएगी कि किसी भी व्यक्ति की खान-पान की निजी आदतों को लागू करने पर किसी तरह की पाबंदी न लगे। ऐसे में गोवध और बीफ खाने पर लगे प्रतिबंधों का विरोध किया जाए। खासकर उन इलाकों में जहां समुदायों के आहार में यह नियमित रूप से शामिल रहा हो। गाय से जुड़ी राजनीति पर सभी राज्य अभियानों में चर्चा होनी चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस विषय पर अपनी राय रख सके।

12. कृषि संकट, जमीन पर कब्जे और खाद्य सुरक्षा के संबंध में यह संकल्प किया गया है कि (अ) पानी का इस्तेमाल सबसे पहले पीने के लिए, फिर घरेलू कामों के लिए, उसके बाद ही कृषि व अंतिम तौर पर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए होना चाहिए; (ब) भोजन के अधिकार को बीजों की संप्रभुता और खाद्य संप्रभुता के संदर्भ में समझना होगा ; (स) जबरन या जोर-जबरदस्ती से जमीन अधिग्रहण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए ; (ई) अभियान बीटी सरसों के खिलाफ संघर्ष के साथ है ; और (फ) अभियान वन अधिकार अधिनियम, पेसा और जमीन से जुड़े अन्य कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर काम करेगा।

13. राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा ताकि महिलाओं को भी किसान के तौर पर मान्यता मिल सके।

14. विकलांगता और भोजन का अधिकार पर आयोजित कार्यशाला में एक संकल्प पारित किया गया कि भोजन का अधिकार अभियान के तहत विकलांगों को सभी राज्यों में अंत्योदय कार्ड्स पाने वालों की सूची में स्वतः ही जगह मिलनी चाहिए। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। इतना ही नहीं, विकलांगों को सभी खाद्य और रोजगार योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ-साथ उन्हें उनकी जरूरतों के लिए खास तौर पर बनी योजनाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी।

15. आंगनवाड़ियों या स्कूलों में सालभर सभी टीबी मरीजों को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए पैरवी की जाएगी।

16. निष्कासन, शहरी खाद्य सुरक्षा, बेघर लोगों के अधिकार, विकलांगता और भोजन के अधिकार, पीवीटीजी और भोजन का अधिकार के साथ ही अन्य विषयों पर समानांतर कार्यशालाओं से कार्ययोजना के कई बिंदु उभरकर सामने आए हैं। इन्हें संकलित किया जा रहा है। जल्द ही उसे आप सभी के साथ साझा किया जाएगा। कार्यशालाओं की सूची नीचे अनुसूची में दी गई है।

17. हर राज्य में राज्य अभियान की ओर से युवाओं के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उसमें लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ ही भोजन का अधिकार विषय जानकारी दी जाएंगी। रिसोर्स पर्सन्स की सूची राष्ट्रीय टीम तैयार करेगी और उसी सूची को हर राज्य को दिया जाएगा। यह कार्यशालाएं अक्टूबर में ही शुरू हो जाएंगी।

18. राजद्रोह और अफ्सपा को भारतीय कानूनी किताबों से हटाने की मांग की जाएगी। इसके लिए सिविल लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स कैम्पेन के साथ मिलकर कोशिश की जाएंगी। ताकि भारत सरकार की ओर से ग्रुप के किसी कार्यकर्ता पर हमला न हो या उसे अलग-थलग न किया जाए।

19. इसी तरह, अन्य अभियानों के साथ-साथ बस्तर में लोगों के जीने और आजादी के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए कोशिश की जाएगी। साथ ही इसके लिए काम कर रहे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी।

20. अभियान के सांस्कृतिक पहलू को मजबूती देनी होगी। इस दिशा में काम करना होगा।